न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 370/2017

आरसीएमएस नं. 2017/00328

1. रेमता देवी पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 5 केएचआर, खाराखेड़ा तहीसल टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 5 केएचआर, खाराखेड़ा टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 5 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. पुष्पेन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 5 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मंजू उर्फ शारदा पुत्री नत्थूराम पत्नी सतपाल जाति जाट निवासी आसाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
5. कान्ता पुत्री नत्थूराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी आसाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी दिनांक 04.08.2017

प्र. सं. 641/2016 अनवान रमेतादेवी बनाम विद्यादेवी व अन्य

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितिः–

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री पवन गौतम अधिवक्ता रेस्पो सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक 20/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 4 केएचआर के खाता संख्या 14/12 जमाबंदी सम्वत 2070–73 के प. नं. 231/207 के मु. नं. 38 के किला नं. 18, 19, 21/1, 22, 23 कुल .999 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 4 केएचआर की कृषि भूमि वादीया के पिता को जरिये विरास्तन प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि की पैदा से वाद पत्र की चरण सं0–2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खरीद की थी इसलिए उक्त कृषि भूमि वादीया की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीया का हक व हिस्सा बनता है। वादीया ने प्रश्नगत भूमि को वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं प्रतिवादी सं0 1 विद्या देवी का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व 5 ने राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। विचारण न्यायायल ने वाद वादीया खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.08.2017 को वादीया/अपीलार्थीया की न तो साक्ष्य ली व न ही उसे सुना। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी स्वःप्रेरणा से वादीया की अनुपस्थिति में अपीलकृत निर्णय पारित किया है। वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने की स्थिति में व पक्षकारों के मध्य कोई विवाद बिन्दु न रहने की स्थिति में बिना किसी कपट की आशंका के वादीया द्वारा चाहे गये अनुतोष को अवश्य ही प्रदान किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के बावजूद वाद को खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रश्नगत 4 केएचआर की 0.999 है0 भूमि वादीया व

20/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के पिता श्री नत्थूराम एवं उसकी माता प्रतिवादीया सं0 1 विद्या देवी के नाम चक 5 केएचआर में कुल 50 बीघा कृषि भूमि थी। चक 5 केएचआर की कृषि भूमि की आय से वाद पत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीया सं0–1 अर्थात माता के नाम खरीद की गई थी। ऐसी अवस्था में इस भूमि की प्रकृति पैतृक सम्पति के समान है। यह भी कथन किया था कि प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम पहले से 15–15 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए उनका इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है। इन्हीं अभिवचनों के साथ वादीया ने चक 4 केएचआर की 0.999 है0 नहरी भूमि को घोषित करने का अनुतोष मांगा था। प्रश्नगत भूमि वादीया के पिता की कृषि भूमि चक 5 केएचआर के पैदारवार से प्राप्त आय से अर्जित की गई है। इस तथ्य को वादीया की माता प्रत्यर्थीया संख्या –1 ने स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया था और मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलाय में अपीलार्थीया/वादीया ने अधिकारों की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिसमें प्रतिवादीगण ने 16.03.2017 को अधीनस्थ न्यायायल में राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद वादीया खारिज कर दिया। इस न्यायालय का मत है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, दावा का किसी पक्ष द्वारा विरोध भी नहीं किया गया है। जब एक ही परिवार के मध्य विधि सम्मत राजीनामा हो और उसका कोई विरोध नहीं हो, तो राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए। प्रकरण में अपीलाण्ट के कुछ मजीद साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टान्त पेश करना चाहता है। ऐसी स्थिति अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

20/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

7. अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार राजीनामा के मुताबिक निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner